न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3101 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दखल दिहानी अपीलवाद सं0-467/2012 में दिनांक-16.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद/दखल दिहानी वाद सं0-18/2012-13 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक पृ0सं0-01 से 20 पन्ना एवं अन्य कागजात-21 से 519 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- श्री नागेश्वर यादव, पिता-स्व0 पंचू यादव वगैरह, सभी सा0-गुड़िया, वार्ड नं0-12, थाना-जदिया, जिला-सुपौल / ओमप्रकाश जायसवाल, पिता-कृष्ण बिहारी जायसवाल एवं वगैरह, सभी सा0-थाना फारबिसगंज, वार्ड नं0-05, जिला-अररिया / रामेश्वर सरदार, पिता-स्व0 हंशी सरदार एवं वगैरह, सभी सा0-कुशमौल, टोला-मुसहरनियाँ, थाना-भरगामा, जिला-अररिया / नगीना सरदार, पिता-स्व0 वरीशलाल सरदार एवं वगैरह, सभी सा0-रतनसार, थाना-छातापुर जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

.....से.....तक

आदेश पत्रक - ता0....., सं0....., सन् १९.....

जिला.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
16/10/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **दखल दहानी अपील वाद संख्याः 467/2012** **नागेश्वर यादव एवं अन्य.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **ओम प्रकाश जायसवाल एवं अन्य तथा राज्य ..... रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत भूमि विवाद श्री नागेश्वर यादव, पे0-स्व0 पाँचू यादव, वो विमला देवी, पति- स्व0 उपेन्द्र यादव, वो विद्यानंद यादव, पे0-स्व0 पाँचू यादव साकिन-गुड़िया, वार्ड संख्या-12 थाना-जदिया, अंचल- त्रिवेणीगंज, जिला- सुपौल, कामत-रतनसार, थाना- छातापुर, अंचल-छातापुर, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज (सुपौल) के भूमि विवाद/दखल दहानी वाद सं0-18/2012-13 में दिनांक 04.10.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2010 की धारा-23 के अन्तर्गत दायर किया गया है, जिसमें (1) श्री ओम प्रकाश जयसवाल वो (2) नन्दगोपाल जायसवाल पेसरान-कृष्ण बिहारी जायसवाल वो (3) कृष्ण बिहारी जायसवाल, पे0 स्व0 उदयचन्द जायसवाल, साकिन+थाना-फारबिसगंज, वार्ड सं0-05, जिला-अररिया वो (4) रामप्रसाद मंडल पे0-ललन मंडल सा0-फारबिसगंज, वार्ड सं0-16, अररिया वो (5) रामेश्वर सरदार वो (6) जागेश्वर सरदार वो (7) धनेश्वर सरदार, पेसरान-स्व0 हंशी सरदार वो (8) डोमी सरदार वो (9) महानंद सरदार, पेसरान-सोनाय सरदार वो (10) दिनेश सरदार वो (11) गुलाब सरदार, पेसरान-स्व0 लक्ष्मी सरदार वो (12) योगानंद सरदार, पे0-स्व0 तेतर सरदार वो (13) गजेंद्र सरदार, पे0-सबूरी सरदार, साकिन-कुशमौल, टोला-मुशहरनियाँ, थाना-भरगामा, जिला-अररिया वो (14) नगीना सरदार, पे0-स्व0 वारिसलाल सरदार वो (15) विजय सरदार, वो (16) विरेन्द्र सरदार वो (17) भूपेन्द्र सरदार वो (18) कुम्भनारायण सरदार, पेसरान-नगीना सरदार वो (19) खेदन सरदार, पे0 स्व0 मंगल सरदार वो (20) नवलेश यादव, पे0-शिवशंकर यादव, साकिन-रतनसार, थाना-छातापुर, जिला-सुपौल वो (21) शिवनारायण यादव, पे0-स्व0 विपतु यादव, सा0-कन्हवा, भरगामा, अररिया, वो (22) सुधीर कुमार यादव,	

पे0–कदमलाल यादव, साकिन–गुड़िया, वार्ड नं0–12, थाना–जदिया, सुपौल वो (23) सुभाषचन्द्र सुधांशु, पे0–चिचाय यादव, साकिन–पिलुवाहा, वार्ड नं0–02, थाना–जदिया, सुपौल को प्रतिवादी बनाया गया है।

–: प्रश्नगत जमीन का विवरण :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा (ए0डी0)
रतनसार, थाना सं0–227 अंचल–छतापुर अनुमंडल–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल।	136	590/783	2.69 डी0
		593/785	2.85 डी0
		594	5.81 डी0
		1060/1355	0.38 डी0
		1061	0.33 डी0
		1062	0.07 डी0
		1063	0.27 डी0
		1064	0.17 डी0
	263	1047/1338,1339	5.75 डी0
	285	919/1266,1267	4.43 डी0
		920/1267	3.36 डी0
	149	895/1265	0.53 डी0
		896	1.11 डी0
		897	0.13 डी0
		898	0.58 डी0
		899	1.49 डी0
		900	0.45 डी0
		901	0.71 डी0
		902/1265,1241	1.41 डी0
		903/1265	1.69 डी0
		904/1240	0.31 डी0
		905/1241	0.66 डी0
	73	623/925	1.17 डी0
		624/925	2.63 डी0
	284	850/1282	0.19 डी0
		851	0.92 डी0
		852/1287	0.32 डी0
	178	802/1151	1.49 डी0
	243	937/1295	0.23 डी0
		938	0.69 डी0
	232	814/1308	1.29 डी0
		836/1307	1.11 डी0

अपीलार्थी नागेश्वर यादव एवं अन्य का पक्ष :–

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन आवेदकगण के पूर्वजों भोगी लाल यादव वो पाँचू यादव, पेसरान–मनरूप यादव वो निर्धन यादव उर्फ डोमी यादव, पे0 भोगी यादव, वो नागेश्वर यादव, पे0–पाँचू यादव,

को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा परवानगी बन्दोबस्ती से प्राप्त है। वादी विमला देवी भोगीलाल यादव, की पुत्रवधू हैं, तथा विद्यानंद यादव, प्रतिपालक चचेरे भाई निर्धन यादव उर्फ डोमी यादव का मनोनीत उत्तराधिकारी है।

वर्ष–1934 ई0 में खतियानी रैयत तिवारी सरदार ने भूतपूर्व जमींदार को प्रश्नगत जमीन सुपूर्द कर दिया। वर्ष–1938 ई0 में भूतपूर्व जमींदार सुरपत सिंह वगैरह नें भोगीलाल यादव वो पाँचू यादव वो निर्धन यादव उर्फ डोमी यादव वो नागेश्वर यादव को परवानगी बन्दोबस्ती कर दिया। 1941–42 में शेष रिवैयूशन रिटर्न दाखिल हुआ। जमीन्दारी उन्मूलन के समय सभी बन्दोवस्तधारियों के नाम से भेस्टिंग रिटर्न दाखिल हुआ। इसी के आधार पर (1) जमाबंदी संख्या–204 बनाम भोगीलाल यादव, (2) जमाबंदी संख्या–205 बनाम नागेश्वर यादव, (3) जमाबंदी संख्या– 206 बनाम निर्धन यादव उर्फ डोमी यादव कायम हुआ। हाल सर्वे में खाता जमाबंदी रैयत तथा उनके वारिशानों के नाम से खुला है।

इसी बीच कई व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी के छेड़–छाड़ करके जाल जमाबंदी कायम करा ली गई थी, जिसे अंचल वाद संख्या– 19/1972–73 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर के द्वारा पारित आदेश से दिनांक 04.04.1975 को रद्द कर दिया गया। उक्त रद्द जमाबंदी से दाखिल–खारिज आदेश पारित करा लेनें के कारण पुनः अंचल विविध वाद संख्या–2/83–84 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर तथा भूमि सुधार उप समहर्त्ता, वीरपुर के द्वारा दाखिल खारिज आदेश को विखण्डित कर दिया गया। प्रश्नगत जमीन जो वादीगण के पर्वजों द्वारा अर्जित की गई है, उसपर प्रतिवादी संख्या– 01,02, एवं 03 द्वारा गलत ढंग से दावा किया जा रहा है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, वीरपूर एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपूर द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर प्रतिवादी संख्या– 01,02 एवं 03 के द्वारा न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल के यहाँ पुनरीक्षण वाद संख्या–13/12–13 दायर किया गया है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–14 से 18 तक के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर दावा करना गलत एवं बेबुनियाद है। लगान निर्धारण वाद संख्या–02/1998–99 में विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन को खारिज किया जा चुका है। इसलिए उक्त जमीन पर प्रतिवादी संख्या–14 से 18 तक का दावा निराधार है।

वादीगणों का कहना है कि सभी प्रतिवादीगण एकजुट होकर पूर्व में एक साजिश रचे जिसमें विपक्षी सं0–01 ओम प्रकाश जायसवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में द0प्र0सं0 की धारा–107 के तहत वाद सं0–431/11 अपीलार्थीगणों के विरूद्ध दर्ज करवाये। उक्त वाद के मूल में विपक्षी सं0–01 के द्वारा अपीलार्थीगण के 90 एकड़ जमीन पर दावा किया गया तथा उक्त सभी जमीन को विभिन्न व्यक्तियों के नाम से होने का दावा किया गया।

प्रतिवादी सं0–20 से 23 अपीलार्थी के प्रश्नगत जमीन पर पूर्व में

बटाई पर जोत आवाद करते थे, किन्तु वाद में उनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध बटाईदारी वाद सं0-02/2009, 03/2009, 04/2009, 05/2009 दायर किया गया, जो लंबित है। उक्त वाद दायर होने पश्चात् अपीलार्थी प्रतिवादीगण को हटा कर स्वयं खेती करने लगे।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि जमाबंदी नं0-204 की जमीन महादलित, अनुसूचित जाति को अधिशेष भूमि अर्जन के तहत वितरित नहीं किया गया अधिशेष भूमि अर्जन के तहत सरस्वती देवी से अधिग्रहित कर बिहार सरकार द्वारा तथाकथित वितरित भूमि पर वाद दायर नहीं किया गया है।

प्रतिवादी सं0-06 से 13 तक के द्वारा भी अन्य जमीनों के साथ-साथ खाता नं0-136, खेसरा नं0-590, 593, 1060,1061,1062,1063 एवं 1064 पर भी दावा किया गया था, जिसके संबंध में अपीलार्थी को हाल में जानकारी मिली कि उक्त प्रतिवादी द्वारा उस खाता खेसरा पर लगान निर्धारण वाद सं0-01/2002 अपर समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें कोई आदेश पारित हुए बगैर उक्त वाद खारिज हो गया।

अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षीगण सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रश्नगत वाद में उक्त जमीन का जमाबंदी-641/195 उनके पूर्वज के नाम से चलने का भी दावा किये हैं। जबकि अपीलार्थी को अंचल-छातापुर से प्राप्त सूचना नं0-189/09.08.2012 में उक्त जमाबंदी किसी रैयत के नाम से नहीं चलने की बात लिखी गई है। प्रतिवादी सं0-01,02,03 के द्वारा भी विविध वाद सं0-431/2011 में उक्त जमीन पर दावा किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त खाता, खेसरा के खतियानी रैयत के द्वारा सुपूर्दगी के पश्चात उन्हें उक्त भूमि बन्दोवस्ती से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0-14 से 18 तक के द्वारा भी अन्य जमीनों के साथ प्रस्तुत अपील के खाता नं0-285, खेसरा नं0-919, 920 पर भी दावा किया गया था तथा अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में लगान निर्धारण वाद सं0-02/1998 को अपीलार्थी के दखल कब्जा एवं कागजी सबूत के आधार पर खारिज किया जा चुका है।

अपीलार्थीगण का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय, सुपौल में दो अधिकार वाद (Title suit) 137/2012 तथा 227/2012 चलने का हवाला दिया गया है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा कोई अधिकार वाद दायर नहीं किया गया और न ही उन्हें इसकी कोई जानकारी है।

अपीलार्थी के अनुसार प्रतिवादी सं0-19 खेदन सरकार द्वारा अन्य जमीनों के साथ खाता नं0-73, खेसरा नं0-623 एवं 624 की जमीन पर दावा किया गया तथा अंचल अधिकारी से जमाबंदी कायम करवा लिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0-31/2008 दायर किया गया, जिसे जमाबंदी रद्दीकरण अपील दायर करने का हवाला देकर रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोई भी जमीन प्रतिवादी सं0-01,02 एवं 03 की नहीं है, किन्तु सभी प्रतिवादीगणों के द्वारा साजिश रचकर विविध वाद सं0-431/2011 दायर कर प्रश्नगत जमीन पर दावा करने का आधार तैयार किया गया तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लगाये गये फसल पर कब्जा कर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया गया। जिस कारण उनके द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-04 एवं 14 के तहत गैर कानूनी बेदखली से संरक्षण प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में दखल दिहानी वाद सं0-18/12-13 दायर किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि सक्षम प्राधिकार कभी भी सरजमीन जाँच हेतु स्थल पर नहीं गये तथा टेबूल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर अपीलार्थी को बेदखल कर दिये, जबकि अपीलार्थी स्थल पर दखल पा चुके हैं। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षीगण ने गलत एवं अप्रभावी कागजातों को दिखाकर सक्षम प्राधिकार, त्रिवेणीगंज से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया गया है। तदालोक में अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायलय के आदेश को विखंडित करते हुए अपीलार्थी के दखल कब्जा को पूर्ववत बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है।

<u>विपक्षी सं0-01 एवं 02 का पक्ष</u> :-

द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या-01 एवं 02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमींदार गया प्रसाद उदयचंद द्वारा जमींदारी उन्मूलन से पूर्व मकसूदन चौधरी वो अन्य को बंदोबस्त कर दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात return जमींदार द्वारा दाखिल कर दिया गया। जमाबंदी संख्या- 204, 205 एवं 206 कायम हुआ। शेष जमीन जो बंदोबस्त नहीं की जा सकी वह सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, जिसके एवज में गया प्रसाद उदयचंद को सरकार से जमींदारी बाँड प्राप्त हुआ।

उनके अनुसार प्रतिवादी संख्या-01 तथा 02 गया प्रसाद उदयचंद के पौत्र तथा प्रतिवादी संख्या-03 गयाप्रसाद उदयचंद के पुत्र हैं। विपक्षी सं0-03 कृष्ण बिहारी जायसवाल का निधन वाद की सुनवाई के दौरान दिनांक 14.04.2013 को हो गया, किन्तु अपीलार्थी के द्वारा उनके नाम को हटाकर वारिसानों को प्रतिस्थापित करने का कोई आवेदन ससयम दाखिल नहीं किया गया है।

रिविजनल सर्वे के क्रम में सभी बंदोबस्तदारों के नाम खाता खुला है। वर्ष-1971 ई0 में मकसूदन चौधरी ने महेश मंडल, शिवा मंडल, मदन मंडल, हनुमानमल शर्मा, भगवान राम शर्मा वो किशुन शर्मा आदि को कुछ जमीन बिक्री कर दिया। हनूमानमल शर्मा के नाम से जमाबंदी संख्या-21, किशुन शर्मा के नाम से जमाबंदी संख्या-91/287, मदन मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-8/5, शिवा मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-38, मकसूदन चौधरी के नाम से जमाबंदी सं0-7, 89, 53 आदि तथा महेश मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-86 कायम हुआ।

प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण द्वारा जिस परवानगी बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त जमीन का दावा किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत एवं जाली है। संपूर्ण बिहार में हरावत ही एक ऐसा राज था जो परवानगी के माध्यम से नहीं बल्कि कबुलियत के माध्यम से बंदोबस्ती करता था। आवेदकगण के नाम से प्रारंभ जमाबंदी संख्या-204, 205 तथा 206 डुप्लीकेट है। इस संदर्भ में अंचल कार्यालय से Information प्राप्त करने पर बताया गया कि उक्त जमाबंदी 1969-70 में कायम किया गया तथा उसमें कोई खाता-खेसरा अंकित नहीं है।

विपक्षी सं0-01 और 02 के द्वारा यह भी बताया गया कि जमाबंदी संख्या-204 में सन्निहित जमीन सिलिंग वाद संख्या-264/76 के द्वारा महादलित परिवार/अनुसूचित जाति के परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जा चुका है। उक्त सभी परिवार के सदस्य प्राप्त जमीन पर दखलकार भी है। अंचल कार्यालय, छतापुर में उपलब्ध भू-हदबन्दी पंजी के अनुसार प्रश्नगत सिलिंग की जमीन मसोमात सरस्वती देवी, पति-उदयचंद लाल की जमाबंदी से वितरित है। इसके अतिरिक्त गयाप्रसाद उदयचंद की जमीन से भी अधिशेष भूमि प्राप्त कर वितरित किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अधिशेष भूमि अर्जन से प्राप्त जमीन को वितरित कर दिए जानें पर उस पर अपीलार्थी प्रथम पक्ष का दावा करना विधि मान्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या-01 एवं 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है की वर्ष-1976 ई0 में अधिशेष भूमि अर्जन के तहत इनके पूर्वज भूतपूर्व जमीन्दार गयाप्रसाद उदयचंद के विरूद्ध पूर्णिया जिला में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम् सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम-1961 (बिहार अधिनियम-12, 1962) के अंतर्गत सिलिंग वाद संख्या-264/1976 प्रारंभ हुआ था एवं धारा-9 के अन्तर्गत जमींदार को विकल्प मिला कि वो कौन-कौन खेसरा की जमीन रखना चाहते हैं। इससे से पूर्व सहरसा, पुर्णिया के अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। जमींदार द्वारा अपने पास रखे जाने वाली जमीन का विवरण दिया गया। मौजा-रतनसार छातापुर की प्रश्नगत जमीन जमींदार ने अपने पास रख लिया।

अपीलार्थी प्रथम पक्ष द्वारा अंचल विविध वाद संख्या-19/1972-73 के माध्यम से हमारे पूर्वजों के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने का दावा गलत है, क्योंकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपूर के द्वारा इस प्रकार के किसी ओदश की सम्पुष्टि नहीं की जा सकी है। पुनः दाखिल-खारिज के माध्यम से जमाबंदी कायम करा लेनें पर प्रथम पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, छतापुर के यहाँ से विविध वाद संख्या-02/83-84 के माध्यम से दिनांक-24.06.1983 को जमाबंदी रद्द करने के अंचल अधिकारी, छतापुर के आदेश की सम्पुष्टि अगले दिन दिनांक-25.06.1983 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, वीरपुर तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर की सम्पूष्टि का दावा भी गलत है। क्योंकि उक्त काईवाई हेतु आवेदन की लिखावट तथा आदेश की लिखावट एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि में है। अंचल विविध वाद संख्या-02/82-83 के आदेश के विरूद्ध विद्वान अपर समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में नामांतरण पुनरीक्षण वाद संख्या-13/12-13

विचाराधीन हैं। आवेदित खाता संख्या-136 की जमीन बेलगानी है। प्रतिवादी संख्या-05 रामेश्वर सरदार द्वारा उक्त जमीन के लगान निर्धारण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में खाता सं0-136 बेलगानी जमीन पर दावा करते हुए प्रश्नगत बनाना विधि मान्य नहीं है।

उनका यह भी कहना है कि खाता सं0-285 की भूमि से संबंधित दो अधिकार वाद-137/12 तथा 227/12 सिविल न्यायालय, सुपौल में विचाराधीन है। निम्न न्यायालय के द्वारा वादगत भूमि का स्थलीय जाँच दिनांक-26.09.2012 को किया गया तथा स्थलीय जाँच में अपीलार्थी के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो सकी।

<u>प्रतिवादी संख्या-07,12 एवं 13 का पक्ष</u> :-

प्रतिवादी संख्या-07,12 एवं 13 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थीगण के द्वारा कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है बल्कि निम्न न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के संबंध में जो अभिकथन किया है, उसी तथ्यों की पुनरावृति की गयी है। उनका कहना है कि मौजा-रतनसार के पुराना खाता-136 से ही उनका सरोकार है। उक्त खाता की भूमि उनकी खतियानी भूमि है, जिसपर वे पुस्त-दर-पुस्त से हकदार वो दखलकार होकर जोत-आबाद करते आ रहे है। उक्त भूमि से अपीलार्थीगण का कोई सरोकार नहीं रहा। उनके अनुसार दिनांक 26.09.2012 को सक्षम प्राधिकार द्वारा किये गये स्थल जाँच में भी पाया गया कि प्रश्नगत खाता पर अपीलार्थी का कभी भी दखल नहीं रहा तथा प्रार्थी उत्तरवादी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा पाया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण के द्वारा गलत आधार पर वाद दायर कर भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की आड़ में उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

उनका कहना है कि उनके द्वारा अपीलार्थीगण तथा उत्तरवादी सं0-01 से 03 के विरूद्ध अधिकार वाद सं0-135/2013 विद्वान असैनिक न्यायालय, सुपौल में दायर किया गया है। उक्त मुकदमा में आदेश पारित होने तक प्रस्तुत वाद में आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध होगा। तदालोक में उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

<u>प्रतिवादी संख्या-19 का पक्ष</u> :-

प्रतिवादी संख्या-19 श्री खेदन सरदार, पे0-स्व0 मंगल सरदार के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खेदन सरदार को मौजा रतनसार के खाता संख्या-73, खेसरा संख्या-623 पु0, 624 पु0 में सन्निहित कुल रकवा 3 एकड़ 80 डी0 से मतलब है। पुराना सर्वे खतियान में उक्त जमीन खेदन सरदार के दादा तिवारी सरदार के नाम से बटाई निस्फ करके दर्ज है। तिवारी सरदार के एक मात्र पुत्र मंगल सरदार हुए तथा मंगल सरदार के एक मात्र उत्तराधिकारी खेदन सरदार हैं। वर्ष 1941-42 ई0 में भूतपूर्व जमींदार द्वारा खेदन सरदार के दादा तिवारी सरदार के नाम से शेष रिभैल्यूशन रिटर्न दाखिल किया गया है। कोशी विभिषिका के कारण प्रश्नगत

जमीन प्रभावित हुआ। जमींदरी उन्मूलन के समय जमींदार द्वारा भेस्टिंग रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। वर्ष–2003 ई0 में अंचल कार्यालय छातापुर में उक्त जमीन की जमाबंदी कायम करनें हेतु आवेदन दिया गया। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् दिनांक–30.08.2003 को जमाबंदी संख्या–478 बनाम खेदन सरदार कायम हुआ। अपीलार्थी नागेश्वर यादव ने उक्त जमाबंदी के विरूद्ध नामांतरण अपीलवाद संख्या–31/2008 दायर कर दिया, जो सुनवाई के पश्चात् खारिज हो गया। उक्त वाद के खारिज होनें अथवा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय आदेश के विरूद्ध नागेश्वर यादव ने कभी किसी सक्षम न्यायालय में रिविजन वाद दायर नहीं किया। अब वर्ष–2012 ई0 में उक्त जमीन को प्रश्नगत बनाते हुए उस पर दखल दिलानें हेतु वाद दायर कर देना विधि संगत व न्याय संगत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण अपोषणीय वाद को खारिज करनें का अनुरोध किया है।

साक्ष्य :–

अपीलार्थी प्रथम पक्ष के द्वारा वादपत्र के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय द्वारा बटाईदार वाद सं0–02/08–09, 03/08–09, 04/08–09 एवं 05/08–09 को स्थगित किये जाने से संबंधित आदेश दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी पक्ष के द्वारा कोई अन्य साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस एवं दलीलों को सुनने, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सभी सुसंगत कागजातों के अवलोकनोपरांत परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत भूमि का अधिकांश खेसरा सिलिंग के तहत अधिग्रहित कर बिहार सरकार द्वारा वितरित किये जाने के उपरान्त उक्त भूमि पर महादलित/पर्चाधारी का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा होना प्रतिवेदित है। इसके साथ ही संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपीलवाद में Complex Question of Title सन्निहित है, जिसके लिए अपीलार्थी चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

16/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

16/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।